राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांक :–स.3(16)(11)विविध / अभि / 14 / 14104–54 दिनांकः– 17/10/2019

–: परिपत्रः–

प्रायः यह देखा गया है कि उप / सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवापुस्तिका में अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र अंकित किये जाने हेतु सेवापुस्तिका निदेशालय में भिजवाई जाती है। इससे निदेशालय का कार्यभार बढता है तथा पेंशन प्रकरण में विलम्ब होता है।

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 81 (1)(ब)(5)के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी से कार्मिक की सेवापुस्तिका में एक प्रमाण पत्र अंकित कराएगा कि '' सरकारी कर्मचारी के समय–समय पर किये गये सभी स्थिरीकरण सही है तथा जिस अंन्तिम वेतन पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाना है, सही रूप से निकाला गया है।''

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी कार्यालय में लेखाकर्मी कार्यरत नही है तो निदेशालय को भिजवाने बजाय आपके सम्भाग में पदस्थापित विभाग के किसी अन्य कार्यालय के लेखाकर्मी से उक्त प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका में दर्ज कराया जाये, ताकि पेंशन प्रकरण विलम्बित न हो। इस सम्बन्ध में उप निदेशक अभियोजन अपने संभाग के कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी से उक्त कार्य सम्पादित करायेगें।

16 X 19
(एस0एन0व्यास)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन,राजस्थान।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त शाखा अभियोजन निदेशालय जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।